

**ग्राम पंचायत स्वाहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17
भाग- एक**

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्वाहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री ब्रह्म राम शर्मा	01.04.14 से 22.01.2016
	श्री हंस राज शर्मा	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत स्वाहल, विकास खण्ड बमसन के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	4.2	बैंक में जमा राशि का रख-रखाब रोकड़ वही में न रखने के परिणाम स्वरूप दुरुपयोग की सम्भावना	1.72

3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.28
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	11.41
5	7	निर्माण कार्य में शेटरिंग की दरें अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर भुगतान करने के फलस्वरूप हानि	0.04
6	8	निर्माण कार्यों में भण्डार रजिस्टर से निर्माण सामग्री की मात्रा जरूरत से अधिक जारी करने के फलस्वरूप हानि	0.08

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत स्वाहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र ujsuujsकुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 05.08.17 से 10.08.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	02/2015
2015-16	05/2015	05/2015
2016-17	05/2016	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत स्वाहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459(a) दिनांक 09.08.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 0100798 (KCCB) दिनांक 16.08.17 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत स्वाहल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व ख़ात :- ग्राम पंचायत स्वाहल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व ख़ातों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	236286	39636	275922	10063	265859
2015-16	265859	36813	302672	25324	277348
2016-17	277348	41566	318914	35612	283302

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत स्वाहल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	187936	899366	1087302	929655	157647
2015-16	157647	742070	899717	509301	390416
2016-17	390416	1831219	2221635	1080840	1140795

स्व ख़ात :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹283302

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1140795

कुल अन्तशेष : ₹1424097

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1423568.84

हस्तगत राशि : ₹528

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN.-A, KCCB -06294	252001
GEN.-A, KCCB -51847	30773
GEN.-B, KCCB -07196	55236
HIM Urja, SBP -62872	6416
RAY, SBP -49322	33398
IAY, SBP -49220	20
MP LAD, SBP -54447	9628
TSC, SBP -07880	2414
13 TH & 14 TH FC, PNB-64786	1004408.84
IPH WATER, KCCB-33373	29274
MNREGA, KCCB -55009	0
कुल राशि	1423568.84

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत स्वाहल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व

भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 बैंक में जमा ₹1.72 लाख का रख-रखाब रोकड़ वही में न रखने के परिणाम स्वरूप दुरुपयोग की सम्भावना:-

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते खोले गये थे जिनमें दिनांक 31.03.17 को ₹172058 जमा थे एवं इन खातों का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इन खातों से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459 दिनांक 09.08.17 स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 17 दिनांक 09.08.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त खातों का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं रखा गया है, जिससे इन खातों में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इन खातों को खोलने के उद्देश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इनका रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इनमें जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके। खातों का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	दिनांक 31.03.17 को जमा राशि
KCCB- Tauni Devi - 20089028809	8139
KCCB- Tauni Devi - 20089032826	163919

5 पंचायत राजस्व ₹0.28 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर, मोबाइल टावर फीस के रूप में वसूली हेतु ₹27690 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹27690 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	2250	13200	15450	14100	1350
2015-16	1350	13200	14550	12660	1890
2016-17	1890	13200	15090	12900	2190

2. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से

2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

3. अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459 दिनांक 09.08.17 द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्थापित कुल मोबाइल टावर की संख्या से अवगत करवाने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 17 दिनांक 09.08.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत क्षेत्र में एक मोबाइल टावर स्थापित हैं (बी.एस.एन.एल.) जो कि वर्ष 2006-07 में पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया गया था, की स्थापना फीस एवं नवीनीकरण फीस प्राप्त नहीं की गई थी । अतः बी.एस.एन.एल. के मोबाइल टावर की स्थापना फीस ₹4000 एवं नवीनीकरण फीस ₹21500 (अवधि 2007-08 से 2013-14 तक ₹2000 प्रति वर्ष एवं वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ₹2500 प्रति वर्ष) की वसूली करना अपेक्षित है । अतः ₹25500 की वसूली मोबाइल टावर कंपनी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6 अनुदान ₹11.41 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1140795 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 निर्माण कार्य में शेटरिंग की दरें अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर भुगतान करने के फलस्वरूप ₹0.04 लाख की हानि :-

वाउचर संख्या 1 दिनांक 05.04.14 (13वें वित्त आयोग) की जांच में पाया कि श्री राज कुमार से कार्य "नि. शमशान घाट, जमली धाम" में 300 स्क्वेर फीट क्षेत्र के शेटरिंग कार्य हेतु ₹22 प्रति स्क्वेर फीट की दर से ₹6600 का भुगतान किया गया था । जबकि वर्ष 2014-15 में शेटरिंग की दरें ₹10 प्रति स्क्वेर फीट निर्धारित की गई थी एवं उक्त वाउचर में ₹3600 (300x12) का अधिक भुगतान किया गया था । उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459 दिनांक 09.08.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 17 दिनांक 09.08.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान बारे में अंकेक्षण को बाद में सूचित किया जाएगा । अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

8 निर्माण कार्यों में भण्डार रजिस्टर से निर्माण सामग्री की मात्रा जरूरत से अधिक जारी करने के फलस्वरूप ₹0.08 लाख की हानि :-

1. नि. युवक मण्डल भवन, स्वाहल

(i) माप पुस्तिका 10173 पृष्ठ 1-3 में उक्त निर्माण कार्य के परिमाण की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए बजरी का प्रयोग 1 CUM एवं रेत का प्रयोग नहीं किया गया था जबकि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ 39 से बजरी 2.5 CUM एवं रेत भी 2.5 CUM उक्त कार्य के लिए जारी की गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में भण्डार रजिस्टर से बजरी व रेत की अधिक मात्रा जारी करके दुरुपयोग किया गया था अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 1.5 CUM बजरी @ ₹1400 प्रति CUM की दर से ₹2100 एवं 2.5 CUM रेत @ ₹1450 प्रति CUM की दर से ₹3625 की वसूली उचित त्वाँत से करना सुनिश्चित करें।

(iii) उक्त कार्य के वहीखाते के पृष्ठ-357 की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.17 तक उक्त कार्य में कुल ₹43526 खर्च की गई थी जबकि माप पुस्तिका 10173 के पृष्ठ 3 पर कुल ₹41691 का व्यय सत्यापित किया गया था, अर्थात् ₹1835 का व्यय अनियमित रूप में अधिक किया गया था।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459 दिनांक 09.08.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 17 दिनांक 09.08.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त वसूलियों की जांच उपरान्त बाद में अवगत करवाया जायेगा। अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

9 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. मोबाइल टावर फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना ।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

12 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

13 निष्कर्ष :- लेखों में भी सुधार की भी आवश्यकता है ।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 31/2017 खण्ड-1-124-127 दिनांक 05.01.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है ।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत स्वाहल, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620046